International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(IV), April - June, 2021, pp.163-167

अफीम नीति एवं इसका उत्पादन अनुज्ञाप्तिधारी पर प्रभावः विशेष अध्ययन चित्तौड़गढ़ (डिवीजन–प्रथम)

डॉ. जय नारायण गुर्जर*
महेश कुमार मीणा**

सार

हर देश की अफीम उत्पादन, प्रचालन के लिए अपनी एक अफीम नीति होती है। अफीम उत्पादन नीति से तात्पर्य अफीम उत्पादन सम्बन्धी संक्रियाओं के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु किये गए प्रावधानों से है। अफीम (पेपवर सोमनिफरम एल) एक औषधीय गुणों वाली नकदी फसल है। एन.डी.पी. एक्ट की अनुमति और मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम की खेती को विनियमित भारत सरकार द्वारा किया जाता है। चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। यह राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में 23^0 32′ से 25^0 31′ उत्तरी अक्षांश तथा 74^0 12′ से 75^0 49′ पूर्वी देशान्तरों के मध्य 7.50 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिला कृषि – परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से जोन VI-A. उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी व अरावली पहाड़ी जोन के अन्तर्गत आता है। यहां वार्षिक वर्षा 85.2 सेमी होती है। जिले में भूरी लोमी, मध्यम काली मृदा की प्रधानता है। जिले की प्रमुख फसलों में मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, सोरगम, कपास, खरीफ तथा गैंहू, सरसों ज्वार, जौ, अफीम, रबी की प्रमुख फसलें है।

कुंजीशब्दः *अफीम नीति, परिस्थितिकीय, वार्षिक वर्षा, फसल प्रतिरूप।*

प्रस्तावना

अफीम (पेपवर सोमनिफरम एल) एक औषधीय गुणों वाली नकदी फसल है। एन.डी.पी. एक्ट की अनुमति और मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम की खेती को विनियमित भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अफीम के औषधीय गुणों के अतिरिक्त इसकी मादक प्रवृत्ति व विलासिता के रूप में अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के दोषों के कारण इसके उत्पादन का प्रचालन करने के लिए किसी उत्पादन नीति का होना अनिवार्य है।

हर देश की अफीम उत्पादन, प्रचालन के लिए अपनी एक अफीम नीति होती है। अफीम उत्पादन नीति से तात्पर्य अफीम उत्पादन सम्बन्धी संक्रियाओं के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु किये गए प्रावधानों से है। यह नीति स्वापक औषधि एवं मनः पदार्थ नियम 8 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवर्ष पूरे देश के लिए जारी की जाती है। इस नीति के प्रावधान प्रति वर्ष सितम्बर माह तक तैयार कर लिये जाते है। यह प्रावधान पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले एवं आगामी वर्ष के तीस सितम्बर को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के लिए लागू किये जाते है।

अध्ययन क्षेत्र

चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। यह राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में 23^0 32′ से 25^0 31′ उत्तरी अक्षांश तथा 74^0 12′ से 75^0 49′ पूर्वी देशान्तरों के मध्य 7.50 लाख हैक्टेयर

---

6 सह आचार्य–भूगोल, एस.पी.सी. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान।
** सहायक आचार्य–भूगोल, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।

भौगोलिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिला कृषि – परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से जोन VI-A. उपआर्द्र दक्षिणी मैदानी व अरावली पहाड़ी जोन के अन्तर्गत आता है। यहां वार्षिक वर्षा 85.2 सेमी होती है। जिले में भूरी लोमी, मध्यम काली मृदा की प्रधानता है। जिले की प्रमुख फसलों में मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, सोरगम, कपास, खरीफ तथा गैंहू, सरसों ज्वार, जौ, अफीम, रबी की प्रमुख फसलें है।

अफीम चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नकदी फसल है। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के समय 20^0C से 25^0C के मध्य तापमान आवश्यक है। तथा अफीम की बुवाई छिड़काव विधि से या कतारों में की जाती है।

शोध पत्र के उद्देश्य

- अफीम की कृषि (चित्तौड़गढ़ – खण्ड प्रथम) का गहन अध्ययन।
- अन्य फसलों व अफीम की लागत व लाभ का तुलनात्मक अध्ययन।
- अफीम नीति का अध्ययन क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारियों पर प्रभाव।
- अफीम उत्पादन संबंधी आधाओं का अध्ययन क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारियों पर प्रभाव।

परिकल्पना

अफीम नीति में प्रति वर्ष बदलते मापदण्डों/नियमों का अनुज्ञप्तिधारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उक्त परिकल्पना के आधार पर अनुज्ञप्तिधारियों पर विगत तीन वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) की अफीम नीति का तुलनात्मक विश्लेषण।

अध्ययन विधितंत्र

अफीम के अनुज्ञप्तिधारियों का प्रतिदर्श बनाने हेतु बहुचरणी प्रतिचयन (Multistage Sampling) प्रक्रिया तथा द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर अध्ययन।

अफीम नीति व अध्ययन क्षेत्र (खण्ड–प्रथम) के उत्पादन अनुज्ञप्तिधारी पर प्रभाव

अफीम की कृषि पर अन्तरराष्ट्रीय नीतियों, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष जारी अफीम नीति का इसके उत्पादन व वितरण पर प्रभाव पड़ता है। चित्तौड़गढ़ जिले को नारकोटिक्स विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति (लाईसेन्स) जारी करने के लिए तीन खण्डों में बांटा गया है :–

तालिका 1

प्रथम खण्ड	द्वितीय खण्ड	तृतीय खण्ड
भदेसर	गंगरार	निम्बाहेडा
चित्तौड़गढ़	राशमी	बड़ी सादड़ी
वल्लभनगर	डूगला	
लसाडिया	भूपालसागर	
उदयपुर (RCA)	कपासन	

अफीम नीति के अनुज्ञप्तिधारियों पर प्रभाव विश्लेषण के लिए सूक्ष्म अध्ययन (Micro Study) के लिए चित्तौड़गढ़ खण्ड प्रथम को चुना है। जिससे अफीम नीति में परिवर्तन का अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या, अफीम उत्पादन क्षेत्र व अफीम उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। चित्तौड़गढ़ खण्ड प्रथम में चित्तौड़गढ़ की तीन तहसीलें भदेसर, चित्तौड़गढ़ व वल्लभनगर को शामिल किया गया है तथा वर्ष 2016–17 से उदयपुर (RCA) व लसाड़िया को भी इसी खण्ड के अन्तर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 2016–17 से पूर्व चित्तौड़गढ़ की मावली, भूपालसागर व कपासन तहसीलों को भी इसी खण्ड में रखा गया था। लेकिन वर्ष 2016–17 के बाद ये तहसीलें द्वितीय खण्ड में आती है।

विगत दस वर्षों (2009–10 से 2019–20) की अफीम नीतियों का अध्ययन क्षेत्र (चित्तौड़गढ़ खण्ड प्रथम) में जारी अनुज्ञप्तियों, उत्पादन क्षेत्र, कुल अफीम भार का निम्न स्वरूप देखने को मिला :–

तालिका 2

Chittorgrah Ist Division					
Crop Year	Total Opium Production (kg.)			Total delicesced/ cancelled	Price paid to cultivators (Rs.)
	Total license Issued-released	Net Productive Area	Total weight of Opium in 70 degree (kg.)		
1	2	3	4	5	6
2009-10	5438	869.2430	54578.34	402	90070765
2010-11	5037	1656.0010	103112.7	718	170152516
2011-12	4317	747.5655	49099.92	136	80084404
2012-13	4197	451.7220	30335.820	227	51268194
2013-14	3980	501.6310	32823.72	169	52609517
2014-15	3813	577.3260	36405.73	192	64262853
2015-16	3999	368.2990	10238.66	111	17651544
2016-17	4244	614.8780	38243.25	378	65259283
2017-18	3980	215.3530	13645.66	72	24331169
2018-19	4699	445.0020	30719.47	76	60631582
2019-20	5207	400.6760	28004.5	104	55393304

स्त्रोत : नारकोटिक्स विभाग, चित्तौड़गढ़

उक्त तालिका में वर्ष 2016–17 व 2017–18 में जारी कुल अनुज्ञप्तियों (लाईसेन्स) व कुल उत्पादन क्षेत्र में अधिक अन्तर का कारण, चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम डिवीजन के पुनः निर्धारण के कारण आया है।

चित्तौड़गढ़ खण्ड प्रथम के गहन अध्ययन के लिए निम्न तालिका से तहसीलतार, अफीम लाईसेन्स, उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र को श्रेणी बद्ध रूप से प्रदर्शित किया गया हैः–

तालिका 3

Chittorgarh - IST DIV.							
Tehsil	Crop Year	Area		Production		Productivity	Price Paid to Cultivators
		Licensed	Net Cultivated	Total	70 Consistency	(Kgs/Hect.)	(Rs..)
Ballabhnagar	2016-17	167.24	146.1786		9158.156	62.6505	
	2017-18	83.60	60.4265	4733.75	4039.339	66.8471	7548502
	2018-19	93.90	89.0022	7280.51	6278.476	70.5429	12555697
	2019-20	84.43	79.853	6501.00	5574.854	69.8140	10999953
Bhadesar	2016-17	266.76	201.6747		12829.669	63.6157	
	2017-18	152.90	54.5715	4121.43	3413.752	62.5556	5808360
	2018-19	185.40	171.4132	13805.54	11785.485	68.7548	22771858
	2019-20	165.97	147.2811	11926.98	10379.03	70.4709	20670108
Chittorgarh	2016-17	296.76	266.7866		16745.078	62.7658	
	2017-18	161.30	99.9575	7676.12	6330.789	63.3348	10963508
	2018-19	190.00	183.9277	14918.31	12814.132	69.6694	25240597
	2019-20	180.77	173.2392	14126.11	12036.073	69.4766	23696347
Lasadiya	2017-18	0.10	0.1	7.370	5.441	54.4100	6937
	2018-19	0.50	0.4942	39.81	32.7	66.1675	60467
	2019-20	0.3	0.178	14.27	12.675	71.2079	25269
Udaipur(Rca)	2016-17	0.3252	0.2383		4.096	17.1884	
	2017-18	0.40	0.2984	4.8	4.439	14.8760	3862
	2018-19	0.3025	0.1651	3.35	3.406	20.6299	2963
	2019-20	0.2825	0.1253	1.79	1.87	14.9242	1627

स्त्रोत : नारकोटिक्स विभाग, चित्तौड़गढ़

2018–19 की अफीम नीति व अध्ययन क्षेत्र में प्रभाव

2018–19 की अफीम नीति में पट्टों के लिए घटाया मार्फिन प्रतिशत के सन्दर्भ में यह प्रावधान किया गया कि जिन अफीम किसानों की अफीम वर्ष 1999 से लेकर 2017 के बीच अफीम क्षारोद कारखाने नीमच और गीजीपुर में घटिया पाई गई थी, लेकिन उनका मार्फिन प्रतिशत 9 से अधिक था उनको भी पट्टे का पात्र माना जायेगा। अफीम नीति में उन अफीम किसानों को भी अफीम पट्टे का पात्र माना गया, जिन्होंने विगत फसल वर्ष में 4.9 प्रति हैक्टेयर की दर से मार्फिन प्रतिशत दिया हो अथवा उनका औसत 52 किलो प्रति हैक्टेयर रहा हो (2017–18 की अफीम नीति में अफीम पट्टे के लिए मार्फिन प्रतिशत 5.9 प्रति हैक्टेयर तय किया था)। साथ ही इस नीति में सरकार ने उन किसानों जिनके वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 तक के बीच औसत के कारण अफीम के लाईसेन्स रद्द कर दिये उन किसानों का नई नीति में एक किलो प्रति हैक्टेयर औसत कम करके पुनः पट्टे जारी करेगी।

उक्त नीति का प्रभाव अध्ययन क्षेत्र में अफीम पट्टों (लाईसेन्स) व उत्पादन पर देखने को मिलना। वर्ष 2017–18 में 3980 लाईसेन्स दिये गये, जो लगभग 15 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018–19 में 4699 लाईसेन्स हो गये। और उत्पादन क्षेत्र लगभग 52 प्रतिशत बढ़कर 2018–19 में 455.0020 हैक्टेयर हो गया, जो वर्ष 2017–18 में 215.3530 हैक्टेयर था। तथा अफीम पट्टेदार कृषकों को वर्ष 2018–19 में राशि रू. 60631582 जारी की गई, जो वर्ष 2017–8 में जारी राशि रू. 24331169 से 60 प्रतिशत अधिक है। (तालिका–2से)

2019–20 की अफीम नीति व अध्ययन क्षेत्रः– वर्ष 2019–20 की अफीम नीति में निम्न प्रावधान किए गएः–

- जिन किसानों का फसल वर्ष 2018–19 में मार्फिन प्रतिशत 4.5 रहा, वहीं किसान पात्र रहेंगे। इस वर्ष औसत आधार को पूरी तरह समाप्त कर दिया।
- वर्ष 2019–20 में तीन सलेब में अफीम रकबा जारी किया गया।
  - 4.5 से अधिक व 5.4 से कम (मार्फिन प्रतिशत) – 0.06 आरी
  - 5.4 से अधिक व 5.9 से कम (मार्फिन प्रतिशत)– 0.10 आरी
  - 5.9 से अधिक (मार्फिन प्रतिशत)– 0.12 आरी
- अफीम खेती के लिए लाईसेन्स प्राप्ति के लिए 5.9 किलो मार्फिन प्रतिशत प्रति हैक्टेयर न्यूनतम उपज देना अनिवार्य।
- किसानों का अधिकतम दो भूखण्डों में अफीम खेती कर सकता है साथ ही किसान दूसरे किसान की जमीन लीज पर लेकर भी खेती कर सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरफ के प्रभाव अध्ययन क्षेत्र में देखने को मिले। लाईसेन्स/पट्टे अधिक जारी करने के बावजूद कुल उत्पादन क्षेत्र में कमी देखने को मिली। तथा तय मानदण्डों (मार्फिन प्रतिशत) को प्राप्त न करने व गैर कानूनी संलिप्तता के कारण वर्ष 2019–20 में 104 पट्टे निरस्त भी किए गए। वर्ष 2019–20 में कुल 5207 लाईसेन्स अध्ययन क्षेत्र में जारी किए गए। जो वर्ष 2018–19 में जारी 4699 पट्टों से अधिक थे। लेकिन फिर भी नीति में रकबे की सलेब में परिवर्तन के कारण कुल उत्पादन क्षेत्र वर्ष 2018–19 के 445.0020 हैक्टेयर की तुलना में वर्ष 2019–20 में घटकर 400.6760 हैक्टेयर ही रह गया। तथा 70 डिग्री पर कुल अफीम भार भी घटकर वर्ष 2019–20 में 28004.502 किलो(वर्ष 2018–19 में 30719.4777 किलो) रह गया। किसानों को देय राशि विगत वर्ष की तुलना में घटकर वर्ष 2019–20 में रू. 55393304 (वर्ष 2018–19 में रू. 60631582) रह गयी। (तालिका–2 सें)

निष्कर्ष

अफीम उत्पादन अनुज्ञप्तिधारी पर समय–समय पर जारी अफीम नीति व उसमें किये जाने वाले संशोधनों का किसानों की आय, लाईसेन्स व रकबे के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह का होता है। वर्ष 2019 में जारी अफीम नीति में प्रति हैक्टेयर 5.9 किलो ग्राम अफीम

उत्पादन की शर्त रखी गयी व इसमें समय–समय पर परिवर्तन भी किया जाता है। उक्त निश्चित मात्रा से कम उत्पादन की स्थिति में कृषकों के लाईसेन्स भी रद्द कर दिया जाता है। दस वर्षं (2009–10 से 2019–20) में अध्ययन क्षेत्र में 2585 किसानों के लाईसेन्स रद्द किये गये। तथा नीति में रकबे के निर्धारण व पुर्ननिर्धारण का शोध क्षेत्र के कृषकों की आय पर भी प्रभाव सुनिश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन अफीम नीति का उद्देश्य किसानों के हितों का ध्यान रखना होता है लेकिन अफीम के गैर कानूनी परिचालन व तस्करी को रोकने के लिए पट्टों पर नियंत्रण भी आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल ए. मापक औषधीयाँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, ए–5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।
2. अग्रवाल एन. एल. (2003), ''भारतीय कृषि का अर्थतंत्र'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. डांगी आर.सी. (2004), ''राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम उत्पादकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओंएवं बाधाओं को चिन्हित करना।''
4. राजपूत वी.एस. (1997), ''चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में अफीम उत्पादन तकनीकी ग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक।''
5. रिपोर्ट (2017, 2018, 2019 व 2020) नारकोटिक्स विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

❖◆❖